न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : दीपेन्द्र सिंह राठौड़ आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 10/2018 (राजस्व अपील) **दायर दिनांक 09.01.2018**

श्री शंकरलाल पिता गंगाराम जाट, निवासी मेवदा,
तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

..... अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार कपासन,
तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार कपासन बमिसल नं. 155/2017 निर्णय दिनांक 27.11.2017

उपस्थितः– वकील अपीलान्टः– श्री शोभालाल जाट

विपक्षी :– पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 16.01.2019

उपरोक्त अनवान प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का मुंगाना ने रिपोर्ट इस आशय प्रस्तुत कि ग्राम मेवदा की बिलानाम आराजी नम्बर 121 रकबा 0.78 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर किस्म रास्ता भूमि पर अपीलान्ट ने बाड लगा कर कब्जा कर लिया है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलान्ट ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैने रास्ते की जमीन पर कोई अतिक्रमण नही किया है बल्कि मेरी खातेदारी की जमीन पर मेरा कब्जा है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए धारा 91/3 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिक्रमी मानते हुए भौतिक रूप से बेदखल कर जुर्माना अरोपित किया एवं अपीलान्ट को एक माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। उक्त आदेश से असतुष्ट होकर अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत की कि अधिनस्थ न्यायालय ने नियमों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है तथा अपीलान्ट ने रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण नही किया है तथा मौके

पर रास्ता यथावत चालु है। उक्त रास्ते से आगे अन्य खातेदार भी आ रहे है। मौके पर सरकारी रास्ते के अलावा भी स्वयं की खातेदारी जमीन में रास्ता छोड रखा है परन्तु पटवारी हल्का मुंगाना द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर किसी भी मौतबिर के हस्ताक्षर नही है और न ही पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की है। रास्ता किसने अवरूद्ध किया है तथा रास्ते का उपयोग कोन–कोन काश्तकार कर रहे है उन काश्तकारों के बयान भी नही लिये गये है। मौके पर रास्ता चालु है इस संबंध में न्यायालय चाहे तो कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवा सकते है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पत्रावली पर हस्ताक्षर करवाये है निर्णय की कोई जानकारी नही दी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2017 को निरस्त फरमाई जाकर अपीलान्ट को दोष मुक्त किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रालवी तलब की गयी।

प्रकरण पर बहस सुनी गयी जिसमें वकील प्रार्थी का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया गया है जबकि अपील में विवादित स्थल पर अपीलान्ट का अतिक्रमण नही है न ही मौके पर रास्ता अवरूद्ध है। रिपोर्ट पटवारी हल्का पर किन मौतबिरान के हस्ताक्षर कराये गये उनका स्पष्ट उल्लेख नही है तथा एक पक्षीय पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये गये है जिसमें अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायायल द्वारा जो निर्णय पारित किया गया जो अवैधानिक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.11.2017 को निरस्त किया जावें।

प्रकरण पर बहस पैरोकार सरकार सुनी गयी जिसमें पैरोकार सरकार का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है चुंकि अपीलान्ट द्वारा ग्राम मेवदा की राजकीय बिलानाम किस्म रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी द्वारा वर्ष

2016 में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण कार्यवाही की गई थी। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

प्रकरण पर बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। ग्राम मेवदा की आराजी नम्बर 121 रकबा 0.78 हैक्टर किस्म बिलानाम रास्ता में से 0.02 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया पटवारी हल्का मुगाना द्वारा 15.06.2018 को पर्चा मौका मुर्तिब किया गया। पर्चे मौके में अंकन किया कि सुगम सम्पर्क परिवाद संख्या 05180783635550 की पालना में बिलानाम रास्ता आराजी नम्बर 121 में जेसीबी एवं पुलिस जाब्ता द्वारा मौतबिरान के समक्ष अतिक्रमण हटाया गया। मौके पर अतिक्रमण हटाते वक्त विवाद नही हुआ तथा मौके पर चारो तरफ जरीब निशानात लगाकर रास्ते के चिन्ह लगवाये गये। मौजा मेवदा से माली खेडा सीमा तक अवरूद्ध रास्ते को खुलवा दिया गया। अतिक्रमी शंकरलाल पिता गंगराम जाट, निवासी मेवदा प्रकरण संख्या 155/2017 को भी मौके से बेदखल कर दिया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विवादित आराजीयात पर अतिक्रमी का कब्जा नही है तथा मौके पर अतिक्रमी नही रहा है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2017 मे अपीलान्ट की सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है तथा शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनवाया जाकर लिखवाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ